दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित: 18 जुलाई, 2023

उद्घोषित: 27 जुलाई, 2023

रि.या.(सि) 1501/2020

शाहीन मलिक ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अनुज कपूर, अधिवक्ता।

बनाम

प्रधान सचिव व अन्य के माध्यम से रा.रा.क्षे.दि.स. राज्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री अरुण पंवार, श्री कार्तिक शर्मा एवं श्री उत्कर्ष सिंह, रा.रा.क्षे.दि.स. के अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला

निर्णय

संजीव नरूला, जे.

1. याचिकाकर्ता, एक एसिड अटैक सर्वाइवर, एक समर्पित कार्यकर्ता है जो सक्रिय रूप से एसिड अटैक पीड़ितों की देखभाल, पुनर्वास, विधिक सहायता एवं मुआवजे की खोज में सहायता करने में लगी हुई है। उनके प्रयासों का उद्देश्य जनता को ऐसे विभत्स हमलों का शिकार होने से बचाना है। इस कारण को

आगे बढ़ाने के लिए, वर्तमान जनहित याचिका ["पीआईएल"] के माध्यम से, वह दिल्ली भर में खुदरा दूकानों में एसिड की ओवर-द-काउंटर बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश चाहती है।

2. याचिकाकर्ता के मामले का सार यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसिड अटैक सर्वाइवर्स द्वारा सामना की जाने वाली दर्दनाक चुनौतियों की मान्यता और एसिड की बिक्री को विनियमित करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ***लक्ष्मी वि. भारत संघ व अन्य*** और ***परिवर्तन केंद्र वि. भारत संघ व अन्य,*** प्रत्यर्थी सं. 1 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ["रा.रा.क्षे.दि.स."] समस्या का समाधान करने में विफल रही है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने दिल्ली विष कब्जा एवं विक्रय नियम, 2015 [*संदर्भित "नियम 2015"*] को अधिसूचित करने में रा.रा.क्षे.दि.स. की ओर से देरी को उजागर किया है। वह कहती हैं कि इस देरी से विधायी कार्रवाई के बावजूद, जमीनी सच्चाई अपरिवर्तित रही है तथा एसिड तक निरंकुश एवं सहज पहुंच के कारण इस तरह के भयानक हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। मौजूदा स्थिति का पता लगाने और एसिड की बिक्री को रोकने और विनियमित करने में रा.रा.क्षे.दि.स. की ओर से अक्षमता को उजागर करने के लिए, याचिकाकर्ता ने प्रशिक्षुओं एवं स्वयंसेवकों को सूचीबद्ध करके दिल्ली शहर के भीतर एक तथ्य-खोज सर्वेक्षण किया। इस अभ्यास के दौरान, यह देखा गया कि स्वयंसेवक, जिनमें से कुछ नाबालिग थे, बिना किसी कठिनाई के शहर के लगभग हर हिस्से से एसिड खरीदने में सक्षम थे। यह चौंकाने वाला आविर्भाव इंगित करता है कि मौजूदा

नियमों एवं विनियमों का न तो कर्मठता से पालन किया जा रहा है और न ही प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

3. इस पृष्ठभूमि के विरोध में, याचिकाकर्ता का दावा है कि इस खतरनाक पदार्थ तक अप्रतिबंधित पहुंच सार्वजनिक सुरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण खतरा है तथा यह एसिड हमलों के जोखिम को कायम रखता है। पूर्ण निषेध हेतु अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए, वह तर्क देती है कि खुदरा दूकानों पर बेचे जाने वाले एसिड का उपयोग मुख्य रूप से शौचालयों एवं बंद सीवर की सफाई के लिए किया जाता है। वह कहती हैं कि इन सफाई कार्यों के लिए व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध हैं, तथा इसलिए, एसिड की खुली बिक्री की अनुमति देना अनावश्यक है, जो अपेक्षाकृत सस्ती है। वह आगे तर्क देती हैं कि एसिड के कथित फायदे अपेक्षाकृत तुच्छ होते हैं जब संभावित नुकसान के खिलाफ इसकी तुलना की जाती है जो इसका कारण बन सकता है। याचिकाकर्ता ने पूर्ण प्रतिबंध के अपने अनुरोध को यह बताते हुए उचित ठहराया कि विनिर्माण उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाने वाला एसिड औद्योगिक ग्रेड का है, जो आमतौर पर हमलों में उपयोग किए जाने वाले एसिड से अलग है। नतीजतन, वह दिल्ली में खुदरा काउंटर दूकानों के माध्यम से एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा नियम 2015 में, 25 अगस्त 2017 के संशोधन को निरस्त करने के निर्देश देने का अनुरोध करती है, जो अनुज्ञप्ति के आधार पर बिक्री की अनुमति देता है।

4. याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया यह मुद्दा निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है, तथा उपरोक्त संदर्भित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय याचिकाकर्ता की चिंता एवं कष्ट के लिए बाध्यकारी आधार प्रदान करते हैं। समस्या की गंभीरता पर ध्यान ***लक्ष्मी*** *(पूर्वोक्त) में* केंद्रित किया गया था, जो लक्ष्मी नाम की एक साहसी एसिड अटैक सर्वाइवर द्वारा दायर एक जनहित याचिका थी। उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कई सिफारिशें जारी कीं, इस प्रकार विधायी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव का मार्ग प्रशस्त हुआ। न्यायालय के निर्णय से आपराधिक विधि में संशोधन हुआ तथा एसिड अटैक सर्वाइवर्स को बेहतर समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। उपर्युक्त घटनाक्रमों के बाद, एक और जनहित याचिका जिसका शीर्षक ***परिवर्तन केंद्र*** *(पूर्वोक्त)* एक पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन द्वारा विधिक उपायों में कमियों एवं अपर्याप्तता को उजागर करते हुए एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बार पीड़ितों को प्रदान किए जाने वाले मुआवजे की राशि के सवाल पर विचार-विमर्श करने के लिए पुनः हस्तक्षेप किया।

5. इन ऐतिहासिक निर्णयों एवं याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए संबंधों के अवलोकन में, न्यायालय को अब यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या एसिड की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध समस्या के लिए उचित दृष्टिकोण है। इस निर्णय के लिए मौजूदा विधिक ढांचे की व्यापक जांच एवं विभिन्न दृष्टिकोणों के निहितार्थों के साथ-साथ उनकी संभावित प्रभावशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार

करने की आवश्यकता है। जबकि याचिकाकर्ता द्वारा साझा की गई चिंताएं वास्तविक हैं और उनका सर्वेक्षण मौजूदा स्थितियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यह सभी दृष्टिकोणों को शामिल नहीं करता है। कुल प्रतिबंध के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, उन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं जहां एसिड जिम्मेदारी से और सुरक्षित रूप से उपयोग किया जाता है। इसलिए, सार्वजनिक सुरक्षा एवं औद्योगिक तथा अन्य विनियमित उद्देश्यों हेतु एसिड के वैध उपयोगों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। एसिड विभिन्न उद्योगों में विभिन्न वैध उपयोगों एवं अनुप्रयोगों में कार्य करता है, तथा पूर्ण निषेध अनजाने में व्यवसायों एवं व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है जिन्हें वैध उद्देश्यों हेतु इसकी आवश्यकता होती है। साथ ही, हमें अनियंत्रित एसिड बिक्री से उत्पन्न खतरे एवं ऐसे विभत्स अपराधों को रोकने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए, हमारे सामने मौजूदा विषय-वस्तु के आधार पर, हमारी राय है कि एसिड की बिक्री पर एकमुश्त प्रतिबंध सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। इसके बजाय, हम यह प्रस्ताव रखते हैं कि राज्य को बिक्री को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों एवं विनियमों के कड़े कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पूर्ण कठोरता के साथ नियम 2015 को लागू करके, अधिकारी एसिड की बिक्री को प्रभावी ढंग से विनियमित कर सकते हैं तथा आपराधिक उद्देश्यों हेतु इसके दुरुपयोग पर रोक सकते हैं। यह दृष्टिकोण याचिकाकर्ता द्वारा संबोधित चिंताओं को विभिन्न

उद्योगों एवं व्यक्तियों की वैध जरूरतों की सुरक्षा की आवश्यकता को संतुलित करेगा।

6. रा.रा.क्षे.दि.स. की ओर से स्थायी अधिवक्ता श्री संतोष कुमार त्रिपाठी ने आश्वास्त किया कि राज्य नियम 2015 को सख्ती से लागू कर रहा है तथा हमारा ध्यान जिलों/इकाइयों से प्राप्त रिपोर्टों की ओर आकर्षित करता है, जो यह इंगित करता है कि दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 20 मई, 2023 के बीच लागू दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से एसिड बेचते पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 50 एफआईआर दर्ज की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिल्ली पुलिस ने इसी विषय पर रि.या.(सि) 03/2018 में एक प्रति शपथ-पत्र दायर किया है, जो अभी भी शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

7. केवल श्री त्रिपाठी के आश्वासन ही पर्याप्त नहीं हैं। इस मुद्दे पर निरंतर सतर्कता एवं सक्रिय उपायों की मांग की गई है। जबकि एक नियामक तंत्र मौजूद है, हमारा मानना है कि बहुत कुछ करने की आवश्यक्ता है। नियम 2015 में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उन विक्रेताओं को एसिड की बिक्री की अनुमति देते हैं जिन्हें अनुज्ञापक प्राधिकरण के विवेक पर अनुज्ञप्ति प्राप्त है। अनुज्ञप्ति केवल उन आवेदकों को जारी किया जाता है जो निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन को प्रदर्शित करते हैं। इन प्रावधानों को कर्मठता एवं सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, तथा राज्य को यह सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए कि एसिड अपराधियों के हाथों में न पड़े।

इसलिए, नियम 2015 को रद्द करने या पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश देने के बजाय, हम रा.रा.क्षे.दि.स. को मौजूदा विधिक ढांचे के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। उपरोक्त नियमों का पालन न करने या गैरकानूनी बिक्री के मामलों में, अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ तेज एवं निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। एसिड की अवैध बिक्री अथवा दुरुपयोग में संलिप्त पाए जाने वालों पर कठोर दंड लगाकर राज्य प्राधिकारी इसके लिए निवारक प्रभाव पैदा कर सकते हैं तथा नियमों के अनुपालन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बिक्री के सख्त विनियमन एवं निगरानी के माध्यम से, एसिड हमलों की घटना की संभावना को काफी कम किया जा सकता है। इस तरह के सक्रिय दृष्टिकोण को अपनाने से एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए परिणाम भुगतने होंगे।

8. इसके अलावा, हम रा.रा.क्षे.दि.स. को एक व्यापक आनुभविक अध्ययन करने का निर्देश देते हैं, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों, व्यक्तियों तथा व्यवसायों पर एसिड की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के संभावित परिणामों का आकलन करना है। साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाने से राज्य मौजूदा नीति, याचिकाकर्ता द्वारा समर्थित परिवर्तनों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सकेगा तथा सार्वजनिक सुरक्षा, उद्योग और एसिड के अन्य वैध उपयोगों पर इसके प्रभाव का पता लगा सकेगा। अध्ययन में एसिड से संबंधित घटनाओं पर ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करना चाहिए तथा पिछले नियमों की प्रभावशीलता एवं एसिड हमलों की घटनाओं को कम करने पर उनके प्रभाव की

भी जांच करनी चाहिए। इस जांच में सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों का भी पता लगाया जाना चाहिए, यदि पूर्ण प्रतिबंध अव्यवहार्य पाया जाता है। इन उद्देश्यों के लिए, वकालत समूहों, उद्योग प्रतिनिधियों, विधिक विशेषज्ञों एवं चिकित्सा पेशेवरों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ाव मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। आनुभविक अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर रा.रा.क्षे.दि.स. मौजूदा विनियामक योजना में किन्हीं कमियों का विश्लेषण एवं पहचान कर सकती है तथा सुविज्ञ निर्णय ले सकती है।

9. हम इस बात पर भी जोर देना चाहेंगे कि हमारे निर्णय को इस मुद्दे पर बहस के पूर्ण समापन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। हम याचिकाकर्ता को उचित अवधि के बाद भी नियमों के कार्यान्वयन में उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में पुनः इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हैं। यह स्वतंत्रता प्रदान करके, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि याचिकाकर्ता की चिंताओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर विकल्पों की और खोज के लिए जगह बनायी जाये।

10. व्यक्तिगत रूप से एसिड हमले के दर्दनाक प्रभाव का अनुभव करने के बाद, याचिकाकर्ता का पीड़ितों की सहायता के लिए समर्पण इस मुद्दे की गहरी समझ एवं एसिड की अप्रतिबंधित बिक्री से उत्पन्न होने वाले निहितार्थों को प्रदर्शित करता है। एक कार्यकर्ता के रूप में, उनका काम एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए न्याय, पुनर्वास और सामाजिक समर्थन मांगने के प्रति उनकी

प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। हम इस संबंध में उनके प्रयासों की सराहना करते हैं। हमें उम्मीद है कि रा.रा.क्षे.दि.स. एवं दिल्ली पुलिस इस मामले को पूरी गंभीरता से देखेगी तथा विधि के प्रावधानों के सख्त कार्यान्वयन में सतर्क और निर्णायक दृष्टिकोण प्रशस्त करेगी। उपर्युक्त निर्देशों को लागू करते समय जमीनी हकीकत की गंभीरता का आकलन करने के लिए याचिका के साथ संलग्न विषय-वस्तु की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी।

11. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका का पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ निपटान किया जाता है।

संजीव नरूला, न्या.

सतीश चंद्र शर्मा, न्या.

जुलाई 27, 2023

डी.नेगी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*